

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

रामेश्वर

विपक्षी

पत्रावली संख्या

श. ७३

पत्रावली संख्या

151/22

सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की ग

24.10.24

पत्रावली पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता अहकाम

प्रकरण लम्बे समय से नगमित हेतु नियत है तथा पूर्व में भी

अंतिम अवसर दिए जा चुके हैं बावजूद इसके समान प्रोसेस

पेशा 18 नये बिस्व गये हैं न्यायालय द्वारा फुड-फुडर

तीन बार आवाज लगावाई गई बावजूद इसके न्यायालय

समय समाप्त तक कोई इच्छित नहीं होने से यह संज्ञाएँ

होना है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 एवं आदेश

9 नियम 5 के तहत अदम-नगमित-अदम-पेशी में खारिज किया

जाता है निर्णय से इज्जत सुनाया गया।

प्रकरण फिलहाल समाप्त होकर नम्बर से खम है।



(रियासती)

2AS